sweeper has been exclusively deployed to maintain these public conveniences.

Release of funds for Indira Gandhi Canal Project

1749. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the revised Defence share of Rs. 18 .71 crores on account of the cost of Indira Gandhi Canal—Jodhpur Drink:ng Water Supply Scheme accepted by the Central Government has been released and sent to State Government of Rajasthan;

(b) if not, by when it is likely to be sent; and

(c) by when the Jodhpur Drinking; Water Supply Scheme is to be completed and the Himalayan Water Board would reach Jodhpur?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Ministry of Defence has sanctioned their revised share of Rs. 18.71 crores on account of the cost of the Jodhpur Lift Canal Project form the Indira Gandhi Nahar Project, out of which Rs. 8.83 crores has been released upto March, 1991.

(b) The balance amount of Rs. 9.88 crores will be released by the Minisiry of Defence Proportionately as per the progress of the project.

(c) The Government of Rajasthan has intimated that though the project is scheduled to be completed by December, 1993, the date of completion is likely to be extended.

केप्टाफोल के उत्पादन पर रोक

1750. श्री भंवर लाल पंवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केप्टाफोल के उत्पादन तथा उसके प्रयोग पर रोक लगाने सम्बन्धी मामले की जांच के लिये एक विशेष समिति का गठन किया है ; यदि हां, तो कब तथा इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ख) क्या समिति ने इस समय तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने कीटनाशकों, जिन पर दूसरे देशों में रोक लगा दिया गया है या जिनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, की समीक्षा के लिए डा. एस. एन. बैनर्जी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। प्रारम्भ में समिति का गठन दो वर्षों के लिए 14 अगस्त, 1984 को किया गया था, जिसकी अवधि दो-बार वार्षिक आधार पर क्रमश: 14 अक्तूबर, 1986 तथा 7 अक्तूबर, 1989 को बढ़ा दी गई थी ? । इस समिति द्वारा कैप्टाफोल कीटनाशक की समीक्षा की गई थी । समिति का गठन सलंग्न है।

(ख) समिति ने केप्टाफोल पर दिसम्बर 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था । सरकार ने केप्टाफोल को सीड-ड्रेसर के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है । पूर्ण विकास के रूप में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है ।

विवरण

विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की सूची

1.	डा० एस० एन० बनर्जी, सेवा निवृत्त वनस्पति रक्षण-सलाहकार, भारत सरकार, कलकत्ता–700 040	अध्यक्ष
2.	डा० आर० एल० रजाक, वनस्पति रक्षण सलाहकार, भारत सरकार, फरीदाबाद	सदस्य
3.	डा० एच० एल० बामी, न्यायपालिका विज्ञानी, दिल्ली–110007	सदस्य
4.	प्रो० उषा के० लूथरा, वरिष्ठ उप-महानिदेशक, नई दिल्ली	सदस्य
5.	डा० जी० के० गिरीश, संयुक्त आयुक्त (एस० एंड आर०) नई दिल्ली ।	सदस्य
6.	डा० ज्ञानेन्द्र नाथ, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, नई दिल्ली	सदस्य
7.	डा० टी० एस० दीक्षित, सहायक निदेशक, लखनऊ	सदस्य
8.	डा० के० एन० मेहरोत्रा, प्रख्यात प्रोफेसर, नई दिल्ली	सदस्य
9.	डा० एस० के० मुखर्जी, प्रख्यात प्रोफेसर, नई दिल्ली,	सदस्य
10.	डा० बी० पी० गेर्गव, विष विज्ञान का एसोशिएट प्रोफेसर, जबलपुर, मध्य प्रदेश	सदस्य
11.	डा० ए० एन० राय चौधरी, निदेशक, नई दिल्ली	सदस्य

12. डा० एस० जे० रहमान, सहायक निदेशक, दिल्ली	सदस्य
13. श्री एम० एस० मूर्ति, सलाहकार (रसायन), नई दिल्ली	सदस्य
14. डा० एस० आर० द्विवेदी, निदेशक, दिल्ली	सदस्य
15. श्री जे० सी० जैसानी, सचिव, नई दिल्ली	सदस्य
16. डा० बी० एस० अत्री, पर्यावरण अधिकारी, नई दिल्ली	सदस्य
17. सहायक महानिदेशक (पी० पी०). नई दिल्ली	सदस्य
18. डा० ए० एस० सिरोही, प्रभागाध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र, नई दिल्ली	सदस्य
19. डा० डी० पी० नाग, उप-निदेशक (चिकित्सा विष विज्ञानी)	सदस्य
20. डा० जाफर फतेहाली, अध्यक्ष, बंगलोर—56204	सदस्य
21. डा० डी० कानूनगो, चिकित्सा विष-विज्ञानी, फरीदाबाद ।	सदस्य

राष्ट्रीय आवास नीति

1751. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास हेतु तथा पर्यावरण की दृष्टि से उत्पन्न गंभीर आवासीय समस्या के समाधान हेतु कोई विस्तृत योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है, यदि नहीं, तो क्या बढ़तेहुए शहरीकरण के कारण होने वाली इस गंभीर समस्या के निवारण के लिये कोई समयबद्ध योजना तैयार किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास नीति के प्रारूप, जिसको इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है, में यह माना गया है, कि आवास क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास